(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सूचित किया गया है कि बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को पहले ही ऋण दस्तावेज में इस आशय का एक उपयुक्त खण्ड शामिल करने को कहा है कि ऋण-कर्ता को ऋण की राशि या उसके किसी भाग को मंजूर किये गये प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग करना वर्जित है। यदि बैंक को इस बारे में आशंका हो अथवा यह विश्वास हो जाता है कि ऋणकर्ता इस शर्त का उल्लघंन कर रहा है तो बैंक को ऋण की राशि अथवा उसके किसी भाग को तुरन्त वापिस मांगने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस अनिवार्य अपेक्षा पर बल देते हुए यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किये हैं कि नकद ऋण खातों से आहरणों के संबंध में धनराशियों के अन्तिम उपयोग को सुनिश्चित करें ताकि कार्यशील पूंजी निधियों को अन्य प्रकार के निवेशों से अथवा सट्टे संबंधी प्रयोजनों से बचाया जा सके और दुर्लभ धनराशियों को अन्यथा इस्तेमाल से रोका जा सके। भारतीय रिजव बैंक ने इसे गम्भीरता से लिया है और धनराशियों के अन्य प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल के सभी मामलों का अवरोध किया है। बैंकों को अवज्ञा करने वाले ऋणकर्ताओं के अवरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिये कहा गया है।

बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा निर्यात वायदों का पूरा न किया जाना

1044. **श्री अजीत जोगी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े औद्योगिक घराने अपने निर्यात वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके निर्यात वायदों का वर्षवार कितना-कितना प्रतिशत पूरा किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कतिपय निर्यात-गृहों को पारेषण के जहाज में लदान-पूर्व निरीक्षण से छूट का दिया जाना

1045. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यया चालू वर्ष के दौरान कुछ निर्यात गृहों को माल के जहाज में लदान पूर्व निरीक्षण से छूट दी गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी छूट दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप घटिया सामान का निर्यात होने लगा है जिससे देश की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त चोटी के व्यापार घरानों, व्यापार घरानों तथा निर्यात सदनों को यह बात ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग उत्पादों तथा फुट वियर और फुट वियर संघटकों के अनिवार्य लदानपूर्व निरीक्षण से छूट दी गई है कि उन्होंने विदेश के बाजारों में अपनी विश्वसनीयता प्राप्त कर ली है। दिनांक 6-10-1990 और 19-10-90 की अधिसूचनाएं विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण–I

भारत के असाधारण राजपत्र, भाग–II खंड–3, उप खंड–(ii) तारीख 6 अक्तूबर, 1990 में प्रकाशित।

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 6-10-1990

का० आ० 763 (अ) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 16–ए की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निर्देश देती है कि उसके द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार व्यापार सदनों, व्यापार सदनों और निर्यात सदनों के द्वारा निर्यात किए जा रहे अभियांत्रिक उत्पादों पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (डी), इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू नहीं होगी।

ह/०-
(एस०के० सूद)
संयुक्त सचिव,

(फाइल सं 6(16)/90–ईआ ई एण्ड ई पी)

विवरण– II

भारत के असाधारण राजपत्र, भाग–II खंड–3, उप खंड–(ii) तारीख 19 अक्तूबर, 1990 में प्रकाशित।

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नयी दिल्ली, तारीख : 19-10-90

का० आ० 805(अ) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 16-ए की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निर्देश देती है कि, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार व्यापार सदनों, व्यापार सदनों और निर्यात सदनों के द्वारा निर्यात किए जा रहे जूते तथा जूतों के संघटकों पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (डी) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू नहीं होगी।

ह०/-
(एस०के० सूद)
संयुक्त सचिव,

(फाइल सं० 6(18)/90–ई आई एण्ड ई पी)

Categorisation of Minerals under Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957

1046. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether marble, granite, sand-stone and other dimensional stones come in the category of minor minerals under the Mines and Mineral (Regulation and Development) Act, 1957;

(b) if so, whether Government propose to separate these minerals from minor category;

(c) whether Government of Rajasthan and Madhya Pradesh have sent any protest letter in this regard; and

(d) if so, what is the reaction of the Central Government thereto?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI ASHOKE KUMAR SEN): (a) Yes, Sir.

(b) Views of the State Governments and Union Territories have been invited on the proposal to exclude granite and other rock types used for dimensional stones and for cutting and polishing from the purview of the minor minerals.